न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 189 / 2021 **दायर दिनांक :—12.11.2021**

उनवान

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत
3. भरतसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत
4. भानूप्रतापसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत
5. हेमकवंर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत
6. सविताकंवर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत
7. साधनाकवंर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत
8. विनिताकंवर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत
9. कौशलकंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासीगण भैंसडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी भैंसडा हाल गायत्रीनगर अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थितिः—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक 29 / 08 / 2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। वादीगण द्वारा संक्षिप्त में वाद इस आश्य का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल भैंसडा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 264 की ख0नं0 568 / 1250 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 569 / 1249 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 570 का रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 571 का रकबा 12.26 है0 कुल किता 4 का रकबा 12.45 है0 आराजी वादीगण के पिता हनुमानसिंह के खाते, कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही थी। हनुमानसिंह की मृत्यु दिनांक 22.12.2020 को हो चुकी है। इसलिए हनुमानसिंह के वारिसान वादीगण की ओर से यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वादीगण की उक्त भूमि के पास ही प्रतिवादी का खेत है लेकिन प्रतिवादी ने वादीगण के कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि में मेड को

फाडकर जबरन 2 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। वादीगण ने दिनांक 26.06.2017 को अपनी भूमि की पैमाईश करवाई तो पता चला कि प्रतिवादी ने 2 बीघा भूमि उसके खेत के पास वाली पर जबरन अतिक्रमण कर रखा है। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी से मना किया तो वह गाली गलोच करने लगा तथा कब्जा हटाने से स्पष्ट मना कर जान से मारने की धमकी दी। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य को रोगा जाना संभव नहीं है। यदि प्रतिवादी ने वादीगण की भूमि 2 बीघा पर जबरन कब्जा बनाये रखा तो वादीगण को अपनी कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी पर चले आ रहे समस्त वैधानिक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। अस्तुत वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में से 2 बीघा भूमि जिस पर प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर रखा है उस पर से उसे बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। इस हेतु यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 26.06.2017 को वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि की पैमाईश करवाने पर पता चलने पर व वादीगण द्वारा प्रतिवादी से कब्जा हटाने (छोडने) का निवेदन करने पर व उसके द्वारा कब्जा छोडने से मना कर लडाई–झगडा करने पर आमादा होने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान ग्राम भैंसडा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर वादीगण विनयी है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से 2 बीघा भूमि जिस पर प्रतिवादी ने कब्जा कर रखा है पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सम्भलाया जावे एवं प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 कौशल कंवर पत्नि हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी भैंसडा ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि मेरे ग्राम भैंसडा तहसील अटरू में मेरे पति के खाते में खाता संख्या 264 की 12.45 है0 भूमि की जो मेरे पति हनुमान सिंह की मृत्यु होने के बाद मेरे व मेरे बच्चों के खाते दर्ज हो गयी। मेरे खाते एवं कब्जे की भूमि पर प्रतिवादी जगदीश पुत्र नन्दकिशोर से जाति मीणा निवासी भैंसडा ने मेरे खेत के पास खेत होने की वजह से अपने ट्रेक्टर से मेढ को फाडकर मेरे खेत में घुसकर मेरी दो बीघा जीन पर कब्जा कर लिया। जिसकी मैंने पटवार हल्का से पैमाइस करवायी थी पटवार हल्का ने भी जगदीश का दो बीघा जमीन पर कब्जा होना बताया। मैने व मेरे पुत्रों ने जगदीश से कब्जा हटाने बाबत निवेदन किया लेकिन जगदीश ने कब्जा नहीं हटाया। जगदीश की पत्नी आये दिन मेरे खेत में भी नुकसान करती है एवं झूठे मुकदमों में फसाने की धमकी देती है। इसलिए जगदीश का कब्जा मेरे खाते की भूमि से हटवाये । मेने कब्जा हटवाने हेतु दावा किया है।

pw2 भानू प्रताप सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी भैंसडा ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि हमारे पिताजी के खाते की भूमि ग्राम भैंसडा में स्थित है। पिता की मृत्यु के बाद खाता संख्या पुराना 264 व पुराना नया 279 की दो बीघा भूमि पर जगदीश पुत्र नन्दकिशोर मीणा ने जबरन दादागिरी के दम पर कब्जा कर रखा है। हमने पटवारी हल्का से पेमाईस करवाली थी उसके बाद भी जगदीश ने बात नहीं मानी आज भी जगदीश ने दो बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है। हमउ क्त भूमि को हांकने जाते है तो हांकने नहीं देता व लउाई–झगउा करता है। जगदीश सरकारी कर्मचारी हे और जब भी हम मौके पर जमीन करने जाते है तो अपनी पत्नी व बच्चों को आगे कर देता है। जिसके हमने समस्त दस्तावेज पेश किये है। हमारे खाते की भूमि से कबजा हटवाने के आदेश प्रदान करें।

pw3 चन्द्रसेन पुत्र घांसीलाल जाति नाई निवासी भैंसडा ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि ग्राम भैंसडा में देवेन्द्र सिंह वगै0 के खाते की जमीन है। जिसमें पूर्व में हनुमान सिंह जी काश्त करते थे और उनके मरने के बाद उनके वारीस देवेन्द्र सिंह वगै0 काश्त करते है। इनके खेत के पास ही जगदीश का खेत है। जिसने जबरन दादागिरी के दम पर 2 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं ग्राम भैंसडा में रहता हूॅ। मेने मौके पर जाकर देखा है। जगदीश को कई बार समझाया भी है लेकिन वह नहीं माना इसलिए देवेन्द्र सिंह वगै0 की खाते की भूमि से जगदीश सिंह का कब्जा हटवाया जाना चाहिए।

pw4 चन्द्रसेन पुत्र घांसीलाल जाति नाई निवासी भैंसडा ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि ग्राम भैंसडा तहसील अटरू के माल में खाता संख्या 264 की 4 किता की 12.45 है0 भूमि मेरे भाई हनुमान सिंह के नाम थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके वारिसान के नाम खाते दर्ज हो चुके है जिन्होने मे वाद पेश किया है। इनके खेत के पास ही जगदीश पुत्र नंदकिशोर जाति मीणा नि0 भैसडा का खेत है। जिसने मेरे भाई की खाता संख्या 264 की 2 बीघा जमीन पर जबरन हांक कर कब्जा कर लिया है। कब्जा हटवाया जावे।

3. अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दोरान कथन किया कि ग्राम भैंसडा के खाता संख्या 264 की ख0नं0 568/1250 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 569/1249 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 570 का रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 571 का रकबा 12.26 है0 कुल किता 4 का रकबा 12.45 है0 भूमि वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज रिकार्डे दर्ज है जिसमें से 2 बीघा भूमि पर पडोसी काश्तकार /प्रतिवादी जगदीश पुत्र नन्दकिशोर जाति मीणा ने जबरन दादागिरी के दम पर बिना किसी विधिक प्राधिकार के कब्जा कर लिया है। अतः उक्त ट्रेसपासर को बेदखल कर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे और इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ये ट्रेसपासर भविष्य में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

4. अभिभाषक वादीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम भैंसडा की जमाबन्दी संवत 2071–74 के अनुसार खाता संख्या 279 की ख0नं0 568/1250 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 569/1249 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 570 का रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 571 का रकबा 12.26 है0 कुल किता 4 का रकबा 12.45 है0 आराजी खातेदार देवेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, बिजनेशकंवर, भरतसिंह, भानुप्रतापसिंह, विनिताकंवर, साधनाकंवर, हेमकंवर पुत्र/पुत्री हनुमान सिंह, हनुमानसिंह पुत्र भीमसिंह के खाते दर्ज हैं अर्थात वादी क्रम 1 ता 5 व 7 ता 8 उक्त विवादित आराजी की रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट है और किसी रिकोर्डेड खातेदार टिनेन्ट की भूमि पर बिना विधिक प्राधिकार के अवैध कब्जा करने वाले को धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के अधिन एक ट्रेसपासर माना जावेगा। साक्ष्य गवाहों pw1 से pw4 द्वारा सशपथ गवाहों में कथन किया कि ग्राम भैंसडा तहसील अटरू के माल में खाता संख्या 264 की 4 किता की 12.45 है0 आराजी वादीगण के खाते दर्ज है जिसमें से करीब 2 बीघा भूमि पर प्रतिवादी ने जबरन दादागिरी के बल पर कब्जा कर रखा है जिसे कब्जा मुक्त करवाया जाना न्यायोचित होगा।

पत्रावली पर जमाबन्दी संवत 2076 प्रदर्श 1, मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श 2) एवं वारीसान शपथ पत्र प्रदर्श 3 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त विवादित के सहखातेदार हनुमानसिंह पुत्र भीमसिंह की दिनांक 22.12.2020 को मृत्यु हो चुकी हैं और वादीगण उसके कानूनी वारीसान है।

5. वादीगण द्वारा पेश सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.06.2017 प्रदर्श 4 का अवलोकन किया गया। सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पटवारी हल्का भैंसडा द्वारा खातेदार एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वादीगण के ख0नं0 571 रकबा 12.26 के साथ साथ समीपवर्ती खेत के खसरे नंबर 567 व 571/1176 का सीमाज्ञान किया गया था। सीमाज्ञान का परीणाम क्या रहा यह रिपोर्ट में कहीं भी अंकित नहीं है। अतः उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर यह तो साबित होता है कि वादीगण और प्रतिवादी के मध्य अपनी आराजी/खेतों की सीमाओं को लेकर विवाद है लेकिन यह साबित नहीं होता कि प्रतिवादी ने वादीगण की 2 बीघा भूमी पर कब्जा किया हुआ है।

6. उक्त प्रकरण को निर्धारित करने से पूर्व धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं–

Sec. 183– Ejectment of certain trespasser- (1)- Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub section (2) on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part wherof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण, रिकोर्डेड खातेदार टिनेन्ट, द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जो यह साबित कर सके कि ग्राम भैंसडा की खाता संख्या 279 की ख0नं0 568/1250 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 569/1249 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 570 का रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 571 का रकबा 12.26 है0 कुल किता 4 का रकबा 12.45 है0 पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा कर रखा है, केवल साक्ष्य गवाहों के सशपथ बयानों में वादीगण की करीब 2 बीघा भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया जाना प्रतित होता है।

न्यायालय वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य के सीमा विवाद के निस्तारण हेतु धारा 209 आर0टी0एक्ट0 के अधीन अनुतोष प्रदान करते हुऐ तहसीलदार अटरू को विवादित आराजी का दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराया जाना और किसी भी पक्षकार का अवैध कब्जा पाये जाने पर उसे बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान करना न्यायोचित समझता है। अतः न्यायहित में वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादिया का वाद न्यायहित में आंशिकतः स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि ग्राम भैंसडा की विवादित आराजी खाता संख्या 279 की ख0नं0 568/1250 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 569/1249 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 570 का रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 571 का रकबा 12.26 है0 कुल किता 4 का रकबा 12.45 है0 भूमि का दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करावे। यदि किसी पक्षकार का अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे बेदखल कर खातेदार को कब्जा सौंपा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 189/2021

उनवान

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत
3. भरतसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत
4. भानूप्रतापसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत
5. हेमकवंर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत
6. सविताकंवर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत
7. साधनाकवंर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत
8. विनिताकंवर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत
9. कौशलकंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासीगण भैंसडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी भैंसडा हाल गायत्रीनगर अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थितिः—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि ग्राम भैंसडा की विवादित आराजी खाता संख्या 279 की ख0नं0 568/1250 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 569/1249 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 570 का रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 571 का रकबा 12.26 है0 कुल किता 4 का रकबा 12.45 है0 भूमि का दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करावे। यदि किसी पक्षकार का अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे बेदखल कर खातेदार को कब्जा सौंपा जावे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X.....मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा। मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.08.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)